

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

पत्रांक-सि०यो०मो०-75/2024 पार्ट I- 421

/पटना, दिनांक- 24/09/2024

विषय: Bihar Water Security and Irrigation Modernization Project (BWSIMP) के तहत Participatory Irrigation Management (PIM) कार्यान्वयन हेतु पी०आई०एम० प्रकोष्ठ, पी०आई०एम० इकाइयों एवं Field Implementation Team (FIT) का गठन।

सिंचाई कमांड क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता में सुधार लाने, सिंचाई जल वितरण में समरूपता लाने, सहकारी प्रयासों के माध्यम से फसल उत्पादकता बढ़ाने तथा सिंचाई हेतु निर्मित अवसंरचना के प्रति किसानों में स्वामित्व की भावना पैदा करने के उद्देश्य से बिहार में पिछले कई वर्षों से सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पी०आई०एम०) कार्यक्रम लागू है।

“सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पी०आई०एम०)” के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नीति निर्धारण, संस्थागत व्यवस्था के गठन, संबंधित समितियों/व्यक्तियों की भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित/निरूपित करने एवं रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के पत्रांक-सि०यो०मो०-75/2024-59/ पटना, दिनांक-04/02/2025 द्वारा एक “राज्य स्तरीय संचालन समिति” (State Level Steering Committee) गठित है।

चूंकि पी०आई०एम० कृषि उत्पादकता बढ़ाने और सिंचाई जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए राज्य सरकार इससे जुड़ी गतिविधियों का विस्तार और उन्हें सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

यह आशा की जाती है कि उपरोक्त पी०आई०एम० प्रकोष्ठ, पी०आई०एम० गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी संबंधित हितधारकों के मध्य समन्वय स्थापित करके, पी०आई०एम० कार्यक्रम को आवश्यक बढ़ावा देने तथा उसके माध्यम से बेहतर जल प्रबंधन के लिए संबंधित कार्य प्रणालियों में आवश्यक सुधार लाने के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग के अधीन राज्य स्तरीय पी०आई०एम० प्रकोष्ठ की स्थापना एवं इस आदेश में निर्दिष्ट संस्थागत व्यवस्थाओं का गठन बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 एवं अन्य सभी सक्षम प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

संपूर्ण राज्य में पी०आई०एम० को सुदृढ़ करने और सिंचाई जल वितरण सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा (1) जल संसाधन विभाग के मुख्यालय स्तर पर एक पी०आई०एम० प्रकोष्ठ, (2) चार मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, (सिवान, डिहरी, दरभंगा और बिहारशरीफ) के अधीन एक-एक पी०आई०एम० इकाई तथा (3) संबंधित मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग परिक्षेत्राधीन प्रत्येक सिंचाई प्रमंडल में एक-एक क्षेत्रीय कार्यान्वयन दल (एफ०आई०टी०) का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

पी०आई०एम० प्रकोष्ठ राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा। पी०आई०एम० इकाइयों, पी०आई०एम० प्रकोष्ठ की परिक्षेत्रीय कार्यान्वयन शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी। क्षेत्रीय कार्यान्वयन दल (एफ०आई०टी०), पी०आई०एम० के समन्वय में क्षेत्र-स्तरीय कार्यान्वयन इकाइयों के रूप में कार्य करेंगे। परियोजना निदेशक, बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना (बी०डब्ल्यू०एस०आई०एम०पी०) परिचालन, नियंत्रण एवं दैनिक कामकाज के लिए पदेन निदेशक, पी०आई०एम० के रूप में पी०आई०एम० प्रकोष्ठ के नियंत्री पदाधिकारी भी होंगे।

पी०आई०एम० प्रकोष्ठ के प्रमुख कार्य:

- बी०डब्ल्यू०एस०आई०एम०पी० के तहत पी०आई०एम० कार्यक्रम के कार्यान्वयन का समन्वय तथा सफल कार्यान्वयन हेतु सुविधा प्रदान करना।
- जल उपयोगकर्ता संघों (डब्ल्यू०यू०ए०) के गठन, चुनाव, संस्थागत सुदृढीकरण तथा क्षमता वृद्धि को सुविधाजनक बनाना।

- पी०आई०एम० एवं डब्ल्यू०यू०ए० के प्रबंधन से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (एस०ओ०पी०), दिशानिर्देश, नियमावली (मैनुअल) एवं प्रक्रियाओं का गठन, विकास एवं संचालन करना तथा उनके कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना ।
- पी०आई०एम० गतिविधियों एवं डब्ल्यू०यू०ए० को सुदृढ़ करने में संलग्न परामर्शियों, गैर-सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०), समुदाय संयोजकों एवं अन्य सहायक एजेंसियों का चयन, तैनाती तथा प्रदर्शन का पर्यवेक्षण करना, तथा उनके बीच समन्वय स्थापित करना ।
- पी०आई०एम० कार्यक्रम की निरंतरता के लिए कृषि प्रसार, आजीविका सहायता, फसल विविधीकरण तथा बाजार संपर्क/उपलब्धता के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर "साझा प्रयास" को सुविधाजनक बनाना ।
- परियोजना के अधीन क्रियान्वित योजनाओं का दस्तावेजीकरण, प्रगति का सत्यापन, नियमित तथा समयबद्ध प्रगति प्रतिवेदन का समर्पण, योजनाओं के माईलस्टोन्स को तय सीमा के भीतर प्राप्त करना तथा प्रदर्शन आधारित शर्तों (पी०बी०सी०) से जुड़े कार्यों/प्रक्रियाओं का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करना ।
- पी०आई०एम० से संबंधित कमांड क्षेत्र विकास (सी०ए०डी०) एवं ऑन-फार्म डेवलपमेंट (ओ०एफ०डी०) से संबंधित गतिविधियों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना तथा समन्वय स्थापित करना ।
- पी०आई०एम० के कार्यान्वयन में शामिल जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग (डी०ओ०ए०), ग्रामीण विकास विभाग (आर०डी०डी०), पंचायती राज संस्थाओं के संबंधित कार्यालयों, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), डब्ल्यू०यू०ए० तथा अन्य हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना ।
- कार्यान्वयन प्रगति तथा संबंधित संस्थाओं के प्रदर्शन की निगरानी, मोड्यूल विकसित करने में सहयोग करना जिसमें कार्यक्रम के अनुश्रवण, मूल्यांकन, सीख एवं प्रगति प्रतिवेदन तैयार/प्रेषित करने के प्रावधान हों तथा उनका संचालन करना ।
- पी०आई०एम० प्रशिक्षण एवं क्षमता-संवर्धन हेतु वार्षिक कार्यक्रम का गठन, कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु वाल्मी तथा अन्य संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करना ।
- पी०आई०एम० इकाइयों के कामकाज की अनुश्रवण करने तथा उसमें निरंतर सुधार लाने, कार्यान्वयन बाधाओं के समाधान, अच्छी प्रथाओं के दस्तावेजीकरण और प्रभावी प्रयासों/प्रक्रियाओं के विस्तार में सहायता प्रदान करना ।

पी०आई०एम० प्रकोष्ठ की संगठनात्मक संरचना:

1. निदेशक, पी०आई०एम० (मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग-सह-परियोजना निदेशक, बी०डब्ल्यू०एस०आई०एम०पी०, जल संसाधन विभाग, पटना)
2. संयुक्त निदेशक, पी०आई०एम० (अधीक्षण अभियंता, सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना)
 - 2.1 उप निदेशक, पी०आई०एम० (2 पद) (कार्यपालक अभियंता, सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-19/20, पटना)
 - 2.2 सहायक निदेशक, पी०आई०एम० (2 पद) (सहायक अभियंता, सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना)
3. संयुक्त निदेशक, कमांड एरिया डेवलपमेंट (सी०ए०डी०) निदेशालय, पटना
 - 3.1 उप निदेशक, सी०ए०डी० (1 पद) (उप सचिव, सी०ए०डी० निदेशालय, पटना)
 - 3.2 सहायक निदेशक, सी०ए०डी० (2 पद) (सहायक अभियंता, सी०ए०डी० निदेशालय, पटना)
4. जहां आवश्यकता हो, जल संसाधन विभाग के अनुमोदन/अनुबंधों के माध्यम से परामर्शी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा ।

निदेशक, पी०आई०एम० का दायित्व:

1. राज्य पी०आई०एम० कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तकनीकी, प्रशासनिक एवं समन्वय में आवश्यक सहायता प्रदान करना, राज्य स्तरीय संचालन समिति (एस०एल०एस०सी०) के कामकाज को सुविधाजनक बनाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना तथा नियमित अंतराल पर समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन/अनुपालन एवं अनुवर्ती कार्रवाई को सुनिश्चित करना ।
2. बी०डब्ल्यू०एस०आई०एम०पी० के तहत पी०आई०एम० गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए समग्र नेतृत्व, रणनीतिक दिशा निर्देश, नीतिगत मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण, समन्वय एवं अनुश्रवण करना ।
3. जल संसाधन विभाग, डी०ओ०ए०, आर०डी०डी०, पंचायती राज संस्थाओं के संबंधित कार्यालयों, वाल्मी, डब्ल्यू०यू०ए०, परामर्शियों/गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना ।
4. पी०आई०एम० के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया, दिशानिर्देशों, प्रस्तावित संशोधित बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली-2003, वार्षिक कार्य योजनाएं, एम०आई०एस० माड्यूल, अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन के लिए आवश्यक प्रणालियों के समयबद्ध गठन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण ।
5. पी०आई०एम० कार्यान्वयन के लिए परामर्शियों एवं अन्य सेवा प्रदाताओं की अधिप्राप्ति एवं अनुबंध की प्रक्रिया तय समयसीमा में पूर्ण कराना ।
6. योजना की प्रगति की समीक्षा, पूर्व निर्धारित "माईल स्टोन्स" और प्रदर्शन आधारित शर्तों (PBCs) को सुनिश्चित करने हेतु परिचालन बाधाओं का समाधान करना एवं प्रक्रियाओं के विस्तारण का मार्गदर्शन करना ।

7. परियोजना के तहत पी०आई०एम० कार्यान्वयन से संबंधित समग्र प्रशासनिक एवं वित्तीय पर्यवेक्षण ।

संयुक्त निदेशक, पी०आई०एम० का दायित्व:

1. बी०डब्ल्यू०एस०आई०एम०पी० के तहत पी०आई०एम० के लिए पूर्णकालिक "नोडल पदाधिकारी" के रूप में कार्य करना तथा निदेशक, पी०आई०एम० को पी०आई०एम० गतिविधियों की योजना, समन्वय, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण सहित उनके सभी कार्यों में सहायता करना ।
2. पी०आई०एम० के कार्यान्वयन हेतु परिक्षेत्र स्तर पर पी०आई०एम० इकाइयों, जल संसाधन विभाग के संबंधित अंचल कार्यालयों तथा प्रमंडलीय कार्यालयों, जल उपयोगकर्ता सघों, वाल्मी, पंचायती राज संस्थानों तथा अन्य हितधारकों से नियमित रूप से समन्वय करना ।
3. भौतिक, वित्तीय, संस्थागत एवं "प्रदर्शन आधारित शर्तों" (PBCs) से संबंधित प्रगति के आँकड़ों के संग्रह, संकलन, विश्लेषण तथा प्रतिवेदन प्रेषण की प्रक्रिया (रिपोर्टिंग) का अनुश्रवण करना तथा एम०आई०एस० और रिपोर्टिंग प्रणालियों के संचालन में सहायता प्रदान करना ।
4. मानक संचालन प्रक्रिया परिचालन दिशानिर्देशों, वार्षिक कार्य योजनाओं, प्रशिक्षण एवं क्षमता-संवर्धन कार्यक्रमों के समयबद्ध कार्यान्वयन में सहयोग करना ।
5. क्षेत्रीय दौरे करना, अच्छी प्रक्रियाओं एवं उनके परिणामों का दस्तावेजीकरण करना तथा कार्यान्वयन की प्रभावशीलता में सुधार के लिए अनुशंसा करना ।

संयुक्त निदेशक, सी०ए०डी० का दायित्व:

1. सी०ए०डी०, ऑन फॉर्म डेवलपमेंट (ओ०एफ०डी०) एवं पी०आई०एम० क्रियान्वयन की समन्वित योजना और कार्यान्वयन के लिए संयुक्त निदेशक (पी०आई०एम०), पी०आई०एम० इकाइयों, संबंधित सिंचाई अंचलों/प्रमंडलों तथा अभियांत्रिक कर्मियों के साथ समन्वय करना ।
2. सिंचाई दक्षता एवं सिंचाई जल के सामयिक वितरण में सुधार हेतु फील्ड चैनलों, जल वितरण प्रणालियों तथा अन्य ओ०एफ०डी० कार्यों के निर्माण/पुनर्स्थापन में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना ।
3. सी०ए०डी०/ओ०एफ०डी० कार्यों की भौतिक प्रगति और गुणवत्ता का अनुश्रवण करना तथा क्रियान्वयन में आनेवाली बाधाओं की पहचान करना तथा निदान सुझाना ।
4. वार्षिक प्रशिक्षण योजनाओं (कर्मचारियों तथा किसानों के लिए) की तैयारी, कार्यान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए वाल्मी और अन्य संस्थानों के साथ समन्वय करना ।
5. निदेशक, पी०आई०एम० के समक्ष उपास्थापित करने हेतु सी०ए०डी० एवं ओ०एफ०डी० के क्रियान्वयन से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन एवं दस्तावेज तैयार करना ।

उप निदेशक, पी०आई०एम० का दायित्व :

1. संयुक्त निदेशक (पी०आई०एम०) को पी०आई०एम० कार्यक्रम से संबंधित समन्वय, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा रिपोर्टिंग सहित उनके सभी कार्यों में सहायता करना ।
2. डब्ल्यू०यू०ए० को सुदृढ़ करने, क्षमता संवर्धन एवं सिंचाई प्रबंधन हेतु परिक्षेत्रीय पी०आई०एम० इकाइयों को परिचालनात्मक सहायता प्रदान करना ।
3. वाल्मी तथा अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर समीक्षात्मक बैठकों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजनों में सहायता प्रदान करना ।
4. क्षेत्रीय स्तर के सहायक कर्मचारियों के दायित्व निर्वहन तथा पी०आई०एम० क्रियान्वयन में लगी सहायक एजेंसियों के प्रदर्शन का अनुश्रवण करना ।
5. क्षेत्रीय दौरे करना, कार्यान्वयन बाधाओं की पहचान एवं उनका निदान प्रक्रियाओं का विस्तारीकरण करना ।

सहायक निदेशकों, पी०आई०एम० का दायित्व :

1. उप निदेशक (पी०आई०एम०) को पी०आई०एम० कार्यक्रम के कार्यान्वयन, समन्वय, अनुश्रवण तथा दस्तावेजीकरण सहित उनके सभी कार्यों में सहायता करना ।
2. पी०आई०एम० कार्यक्रम के गतिविधियों के कार्यान्वयन में पी०आई०एम० परिक्षेत्रीय इकाइयों और क्षेत्रीय कार्यान्वयन दल (एफ०आई०टी०) को परिचालनात्मक सहयोग प्रदान करना ।
3. प्रगति डेटा का संग्रहण, सत्यापन अभिलेख के रूप में संग्रहण, रख-रखाव तथा रिपोर्टिंग में सहायता करना ।



4. उप निदेशक को उपस्थापित करने हेतु प्रगति प्रतिवेदन, प्रस्तुतियों, अनुपालन दस्तावेजों तथा परिचालन संबंधी प्रारूप तैयार करना।

उप निदेशक, सी०ए०डी० का दायित्व :

1. राज्य पी०आई०एम० कार्यक्रम अंतर्गत सी०ए०डी० एवं ओ०एफ०डी० गतिविधियों की योजना बनाने, समन्वय, कार्यान्वयन, अनुश्रवण तथा उनका मूल्यांकन करने में संयुक्त निदेशक (सी०ए०डी०) की सहायता करना।
2. सी०ए०डी०, ओ०एफ०डी० एवं पी०आई०एम० कार्यान्वयन की समन्वित योजना और कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय पी०आई०एम० इकाइयों, संबंधित सिंचाई अंचलों/प्रमंडलों तथा अभियांत्रिक कर्मियों के साथ समन्वय करना।
3. सी०ए०डी०/ओ०एफ०डी० गतिविधियों के निष्पादन, अनुश्रवण तथा रिपोर्टिंग में सहायक निदेशकों एवं फील्ड पदाधिकारियों का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करना।
4. फील्ड चैनलों, सिंचाई जल वितरण प्रणालियों एवं अन्य ओ०एफ०डी० गतिविधियों सहित सी०ए०डी०/ओ०एफ०डी० कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण करना तथा जहां आवश्यक हो सुधारात्मक उपायों की अनुशंसा करना।
5. सी०ए०डी०/ओ०एफ०डी० गतिविधियों की गुणवत्ता, प्रदर्शन एवं अनुपालन की समीक्षा करना तथा कार्यक्रम लक्ष्यों की उपलब्धि समय पर सुनिश्चित करना।
6. सी०ए०डी०/ओ०एफ०डी० गतिविधियों से संबंधित वार्षिक कार्य योजनाओं, बजटों, प्रशिक्षण योजनाओं, प्रगति प्रतिवेदनों तथा तकनीकी प्रलेखन की तैयारी को सुविधाजनक बनाना।
7. विभागीय कर्मियों, डब्ल्यू०यू०ए० एवं किसानों के लिए क्षमता संवर्धन कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु वाल्मी एवं अन्य संस्थानों के साथ समन्वय करना।
8. फील्ड इकाइयों से प्राप्त रिपोर्ट समेकित करना, कार्यक्रम डेटाबेस/एम०आई०एस० का अनुश्रवण तथा संयुक्त निदेशक (सी०ए०डी०) को नियमित अंतराल पर प्रगति रिपोर्ट एवं समीक्षा नोट्स प्रस्तुत करना।
9. नीतिगत कार्यान्वयन, हितधारक समन्वय, समीक्षा बैठकों तथा कार्यक्रम अनुश्रवण में संयुक्त निदेशक (सी०ए०डी०) की सहायता करना।

सहायक निदेशकों का दायित्व, सी०ए०डी०:

1. राज्य पी०आई०एम० कार्यक्रम अंतर्गत सी०ए०डी० एवं ओ०एफ०डी० गतिविधियों के कार्यान्वयन, अनुश्रवण तथा रिपोर्टिंग में उप निदेशक (सी०ए०डी०) की सहायता करना।
2. सी०ए०डी०, ओ०एफ०डी० एवं पी०आई०एम० कार्यान्वयन की योजना और कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय पी०आई०एम० इकाइयों, संबंधित सिंचाई अंचलों/प्रमंडलों तथा फील्ड अभियांत्रिक कर्मियों के साथ समन्वय करना।
3. सिंचाई दक्षता एवं सिंचाई जल के सामयिक वितरण में सुधार हेतु फील्ड चैनलों, सिंचाई जल वितरण प्रणालियों तथा अन्य ओ०एफ०डी० कार्यों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण को सुविधाजनक बनाना।
4. सी०ए०डी०/ओ०एफ०डी० कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता एवं अनुपालन का अनुश्रवण हेतु फील्ड दौरा कर निरीक्षण करना तथा उप निदेशक (सी०ए०डी०) को निष्कर्ष प्रस्तुत करना।
5. सी०ए०डी०/ओ०एफ०डी० गतिविधियों से संबंधित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति डेटा, एम०आई०एस० रिकॉर्ड तथा दस्तावेजों को एकत्र, संकलित एवं संधारित करना।
6. सी०ए०डी०/ओ०एफ०डी० कार्यों के कार्यान्वयन बाधाओं की पहचान करने में सहायता करना, विशेष रूप से नहर प्रणाली के अंतिम छोर वाले क्षेत्रों में समय पर सुधारात्मक कार्रवाई हेतु सहायता प्रदान करना।
7. वाल्मी एवं अन्य संस्थानों के समन्वय से विभागीय कर्मियों, डब्ल्यू०यू०ए० तथा किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक्सपोजर विजिट, प्रदर्शन एवं क्षमता संवर्धन गतिविधियों के आयोजन में सहयोग करना।
8. सी०ए०डी०/ओ०एफ०डी० गतिविधियों से संबंधित वार्षिक कार्य योजनाओं, प्रशिक्षण योजनाओं, प्रगति प्रतिवेदन, समीक्षा नोट्स तथा तकनीकी प्रलेखन तैयार करने में सहायता करना।
9. सी०ए०डी०, ओ०एफ०डी० एवं सिंचाई प्रबंधन से संबंधित तकनीकी दिशानिर्देशों, परामर्शों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार को सुविधाजनक बनाना।

पी०आई०एम० प्रकोष्ठ के तहत, जल संसाधन विभाग अंतर्गत चार मुख्य अभियंता परिक्षेत्र कार्यालयों में चार पी०आई०एम० इकाइयों का स्थापन :-

- चार मुख्य अभियंता परिक्षेत्र (सिवान, डिहरी, दरमंगा और बिहारशरीफ) में पी०आई०एम० इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी।
- प्रत्येक पी०आई०एम० इकाई संबंधित सिंचाई परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन के अधीन कार्य करेगी।

- परियोजनांतर्गत अंचलों के अधीक्षण अभियंता पी०आई०एम० गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु मुख्य अभियंता को सहायता प्रदान करेंगे ।

इस आदेश के तहत परियोजनांतर्गत अंचल/प्रमंडल (मुख्य अभियंता परिक्षेत्र के अनुसार):

- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान परिक्षेत्र:- सिंचाई अंचल सिवान, (सिंचाई प्रमंडल- सिवान एवं गोपालगंज) तथा सिंचाई अंचल छपरा (सिंचाई प्रमंडल- छपरा, मधौरा, एकमा एवं महाराजगंज) ।
- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी परिक्षेत्र:- सिंचाई अंचल आरा (सिंचाई प्रमंडल- बक्सर, चौसा एवं आरा) तथा भभुआ अंचल (प्रमंडल- डेहरी एवं बिक्रमगंज) ।
- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा परिक्षेत्र:- सिंचाई अंचल मधुबनी (सिंचाई प्रमंडल- मधुबनी) तथा झंझारपुर सिंचाई अंचल (सिंचाई प्रमंडल- झंझारपुर एवं अधराठाढ़ी) ।
- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग बिहारशरीफ परिक्षेत्र:- सिंचाई अंचल बिहारशरीफ (सिंचाई प्रमंडल- बिहारशरीफ) ।

प्रत्येक मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन परिक्षेत्राधीन पी०आई०एम० इकाई समन्वय समिति की संरचना:

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग	— अध्यक्ष
अधीक्षण अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल	— सदस्य संयोजक
मुख्य अभियंता के अंतर्गत सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता	— सदस्य
मुख्य अभियंता के अंतर्गत सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता	— सदस्य
किसानों के प्रतिनिधि	— सदस्य (संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा नामित किया जाएगा)

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन परिक्षेत्राधीन पी०आई०एम० इकाई समन्वय समिति की भूमिका एवं दायित्व:

- पी०आई०एम० के कार्यान्वयन हेतु समग्र नीतिगत मार्गदर्शन तथा रणनीतिक दिशानिर्देश प्रदान करना ।
- राज्य पी०आई०एम० प्रकोष्ठ द्वारा निर्गत नीतियों, कार्यक्रम एवं कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा तथा अनुश्रवण करना ।
- अंचल कार्यालयों, प्रमंडल कार्यालयों, परिक्षेत्राधीन पी०आई०एम० इकाई तथा अन्य हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना ।
- जल उपयोगकर्ता संघों का गठन, संस्थागत सुदृढीकरण, सी०ए०डी०/ओ०एफ०डी० कार्यों, सिंचाई प्रबंधन तथा सिंचाई जल शुल्क संग्रह की प्रगति की समीक्षा करना ।
- पी०आई०एम० के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले अंतर-विभागीय तकनीकी, प्रशासनिक तथा संस्थागत मुद्दों का समाधान करना ।
- पी०आई०एम० के क्रियान्वयन हेतु कृषि विभाग, वाल्मी, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वित प्रयास को बढ़ावा देना ।
- पी०आई०एम० कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना, बाधाओं की पहचान करना तथा सुझावपूर्ण उपायों की अनुशंसा करना ।
- पी०आई०एम० प्रकोष्ठ के विचारार्थ संबंधित नीति तथा संस्थागत मामलों की अनुशंसा करना ।
- सदस्य-संयोजक, समन्वय समिति की त्रैमासिक बैठकें आयोजित करेंगे, समन्वय समिति के समक्ष कार्यसूची रखेंगे, कार्यान्वयन रिपोर्ट, प्रगति तथा कार्यवाई प्रतिवेदन आदि संकलित करेंगे तथा इसे समन्वय समिति के विचार के लिए प्रस्तुत करेंगे ।
- आवश्यकतानुसार अध्यक्ष की अनुमति से समन्वय समिति की बैठक कभी भी आयोजित की जा सकती है ।

पी०आई०एम० इकाई की संगठनात्मक संरचना:

- प्रत्येक पी०आई०एम० इकाई में जल संसाधन विभाग के अभियंता पदेन सदस्य होंगे । अधीक्षण अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल का पी०आई०एम० इकाई समन्वयक के रूप में नामित किये जायेंगे ।
- पी०आई०एम० इकाई समन्वयक की प्रत्यक्ष देखरेख में दो कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल एवं कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल जो क्रमशः उप समन्वयक, पी०आई०एम० एवं उप समन्वयक, सी०ए०डी० के रूप में कार्य करेंगे । उप समन्वयक पी०आई०एम० सामुदायिक भागीदारी तथा क्षमता संवर्धन हेतु उत्तरदायी होंगे तथा उप समन्वयक, सी०ए०डी० क्षेत्रीय इकाई स्तर पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यों का ध्यान रखने के अतिरिक्त एफ०आई०टी० को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होंगे ।

(Handwritten signature)

3. प्रत्येक प्रमंडल में एक सहायक अभियंता को सहायक समन्वयक (पी०आई०एम०) के रूप में कार्य करने के लिए उप समन्वयक (पी०आई०एम०) द्वारा नामित किया जाएगा। इसी प्रकार, उप समन्वयक, सी०ए०डी० के अधीन एक सहायक अभियंता को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के भीतर सहायक समन्वयक (सी०ए०डी०) के रूप में कार्य करने के लिए उप समन्वयक (सी०ए०डी०) द्वारा नामित किया जाएगा।
4. पी०आई०एम० इकाई का नेतृत्व संबंधित मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग करेंगे तथा पी०आई०एम० इकाई इनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करेंगे।
5. जल संसाधन विभाग द्वारा परामर्शी अनुबंधों के माध्यम से नियोजित किए जाने वाले चार परामर्शी पी०आई०एम० इकाइयों में से प्रत्येक को आवश्यक अतिरिक्त विशेषज्ञता प्रदान करेंगे।

पी०आई०एम० इकाई के प्रमुख कार्य:

1. जल उपयोगकर्ता संघों (डब्ल्यू०यू०ए०) एवं अन्य हितधारक संस्थानों के गठन, क्षमता वृद्धि तथा सतत कामकाज को सुविधाजनक बनाकर सहभागी सिंचाई संस्थाओं को सुदृढ़ करना।
2. पी०आई०एम० समन्वय समिति के कार्यकारी तथा तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करना एवं उसके निर्णयों को लागू करना।
3. डब्ल्यू०यू०ए०, फील्ड एजेंसियों तथा संबंधित विभागों के साथ समन्वय के माध्यम से सिंचाई जल वितरण सेवा में सुधार एवं सिंचाई प्रणालियों के प्रबंधन में कुशलता, समरूपता तथा सहभागिता को बढ़ावा देना।
4. पी०आई०एम० के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु तकनीकी सहायता, ज्ञान साझाकरण, समन्वय तथा निरंतर सुधार तंत्र के माध्यम से क्षेत्र-स्तरीय संस्थानों एवं हितधारकों का क्षमता संवर्धन।
5. सतत सिंचाई तथा कृषि विकास के लिए विभिन्न सहायता सेवाओं तक किसानों की पहुँच में सुधार हेतु संबंधित विभागों एवं एजेंसियों के साथ समन्वय कर अंतर-विभागीय समन्वय को बढ़ावा देना।
6. पी०आई०एम० प्रकोष्ठ द्वारा जारी नीतियों, दिशानिर्देशों तथा रणनीतिक निर्देशों को क्षेत्रीय स्तर पर लागू करना।
7. पी०आई०एम० इकाई के क्षेत्राधीन नहर प्रणालियों के तकनीकी, संस्थागत, बुनियादी ढाँचे तथा परिचालन से संबंधित डेटा का एकत्रीकरण, संकलन एवं विश्लेषण करना तथा प्रणाली के बेहतर संचालन एवं रखरखाव के लिए उपायों की अनुशंसा करना।
8. डब्ल्यू०यू०ए० एवं अन्य सहभागी सिंचाई संस्थानों के गठन, सुदृढ़ीकरण, पंजीकरण, कानूनी अनुपालन एवं प्रभावी कामकाज को सुविधाजनक बनाना।
9. प्रभावी जल वितरण तथा सिंचाई प्रबंधन के लिए डब्ल्यू०यू०ए० को कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधा एवं परिचालन सहायता प्रदान करना।
10. डब्ल्यू०यू०ए०, एफ०आई०टी० तथा अन्य हितधारकों के लिए सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण (आई०ई०सी०) गतिविधियों, जागरूकता सृजन, सामुदायिक संपर्क, प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर यात्राओं के आयोजन में सहायता करना।
11. पी०आई०एम० गतिविधियों में लगी एफ०आई०टी० एवं अन्य क्षेत्र-स्तरीय एजेंसियों का अनुश्रवण, मार्गदर्शन तथा सहयोग करना।
12. कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करना तथा नियमित अंतराल पर भौतिक, वित्तीय, संस्थागत एवं कार्य संबंधी रिपोर्ट पी०आई०एम० प्रकोष्ठ के समक्ष प्रस्तुत करना।
13. डब्ल्यू०यू०ए० के कामकाज तथा पी०आई०एम० कार्यान्वयन से संबंधित परिचालन एवं संस्थागत मुद्दों के समाधान हेतु आवश्यक प्रयास/सहयोग करना।
14. सिंचाई, कृषि एवं किसान सहायता सेवाओं के समन्वय हेतु संबंधित विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

पी०आई०एम० इकाई समन्वयक का दायित्व:

1. पी०आई०एम० इकाई के कार्यक्षेत्राधीन पी०आई०एम० कार्यक्रम में शामिल करने हेतु सिंचाई प्रणालियों की पहचान एवं अनुशंसा करना।
2. पी०आई०एम० प्रकोष्ठ द्वारा जारी निर्देशों, रणनीतियों और कार्य योजनाओं के अनुरूप पी०आई०एम० गतिविधियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
3. पी०आई०एम० इकाई के कार्यान्वयन, समन्वय, एवं रिपोर्टिंग गतिविधियों का दैनिक आधार पर अनुश्रवण करना।
4. एफ०आई०टी० एवं संबंधित प्रमंडलों के साथ समन्वय करना तथा कार्यस्थलीय कार्यान्वयन हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करना।
5. पी०आई०एम० कार्यान्वयन हेतु कार्यरत परामर्शी/सेवा प्रदाता टीमों के साथ समन्वय एवं सहयोग करना।
6. पी०आई०एम० प्रकोष्ठ को नियमित अंतराल पर रिपोर्ट प्रेषित करना तथा संबंधित मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंताओं के साथ समन्वय स्थापित करना।

उप समन्वयक, पी०आई०एम० (सामुदायिक भागीदारी एवं क्षमता निर्माण) का दायित्व:

1. किसानों को जागरूक करना, सामुदायिक बैठकों का आयोजन करना, जल प्रणाली/ग्राम पंचायत स्तर पर डब्ल्यू०यू०ए० के गठन एवं सुदृढ़ीकरण में एफ०आई०टी० को सहायता प्रदान करना।

2. डब्ल्यू०यू०ए० के गठन से संबंधित चुनावों, पंजीकरण एवं अन्य कानूनी/संस्थागत औपचारिकताओं को सुविधाजनक बनाना अथवा सहयोग करना ।
3. पी०आई०एम० गतिविधियों के क्षेत्र-स्तरीय कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना तथा पी०आई०एम० इकाई समन्वयक को नियमित अंतराल पर रिपोर्ट करना ।
4. आई०ई०सी० (सूचना, शिक्षा, संप्रेषण), जागरूकता एवं जनसंपर्क कार्यक्रमों के आयोजन में सहायता करना तथा डब्ल्यू०यू०ए० एवं एफ०आई०टी० सदस्यों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
5. सामुदायिक भागीदारी और क्षमता-संवर्धन गतिविधियों के लिए परामर्शियों और संबंधित विभागों के जिलास्तरीय कार्यालयों के साथ समन्वय करना ।
6. सिंचाई जल वितरण, सिंचाई प्रणालियों के संचालन एवं रखरखाव, विवाद समाधान में प्रभावी भागीदारी तथा सतत कामकाज हेतु डब्ल्यू०यू०ए० के संस्थागत सुदृढीकरण में सहयोग करना ।

उप समन्वयक, सी०ए०डी० (तकनीकी सहायता, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) का दायित्व :

1. पी०आई०एम० एवं सी०ए०डी०/ओ०एफ०डी० कार्यान्वयन के लिए सिंचाई प्रणालियों की पहचान तथा उनकी तत्परता/तैयारी मूल्यांकन में सहायता करना ।
2. तकनीकी, परिचालन एवं सी०ए०डी० से संबंधित डेटा एकत्र, संकलन तथा रिपोर्ट करना एवं उनके तकनीकी सत्यापन तथा अनुश्रवण में सहायता करना ।
3. डब्ल्यू०यू०ए० एवं फील्ड एजेंसियों के साथ समन्वय में सी०ए०डी०/ओ०एफ०डी० कार्यों, सिंचाई सारणी, सिंचाई जल वितरण एवं सिंचाई जल शुल्क संग्रह तथा संबंधित तकनीकी गतिविधियों की योजना, अनुश्रवण एवं तकनीकी समन्वय हेतु सहायता करना ।
4. एम०आई०एस०/मोनिटरिंग प्रणालियों के संचालन, तकनीकी प्रतिवेदन तथा प्रगति प्रतिवेदन तैयार करने में सहायता करना ।
5. क्षेत्रीय/कार्य स्थलीय दौरा करना तथा सुधारात्मक कार्रवाई हेतु तकनीकी मुद्दों एवं बाधाओं की रिपोर्ट पी०आई०एम० इकाई समन्वयक को प्रस्तुत करना ।

सहायक समन्वयक, पी०आई०एम० (सामुदायिक भागीदारी एवं क्षमता संवर्धन) का दायित्व:

1. पी०आई०एम० गतिविधियों के दैनिक कार्यान्वयन तथा समन्वय में उप समन्वयक को सहायता करना ।
2. किसानों को पी०आई०एम० के प्रति जागरूक करने, सामुदायिक बैठकों एवं सिंचाई प्रणाली तथा ग्राम पंचायत स्तर पर जल उपयोगकर्ता संघों (डब्ल्यू०यू०ए०) को सुदृढ करने में सहायता करना ।
3. डब्ल्यू०यू०ए० के चुनाव, पंजीकरण प्रक्रियाओं एवं संस्थागत औपचारिकताओं को पूर्ण कराने में सहायता करना ।
4. डब्ल्यू०यू०ए० एवं एफ०आई०टी० कर्मचारियों के लिए आई०ई०सी० (सूचना, शिक्षा, संप्रेषण), जागरूकता, जनसंपर्क, प्रशिक्षण एवं क्षमता-संवर्धन कार्यक्रमों का समन्वय करना ।
5. पी०आई०एम० गतिविधियों से संबंधित कार्य स्थलीय रिकॉर्ड, रिपोर्ट, दस्तावेज का संधारण एवं कार्यालय से समन्वय बनाए रखना ।
6. प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु सलाहकारों, पी०आई०एम० क्रियान्वयन में सहभागी विभागों, सामुदायिक संस्थानों के साथ संपर्क एवं तालमेल बनाए रखना ।
7. पी०आई०एम० गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समन्वय, दस्तावेजीकरण एवं परिचालन हेतु सहयोग प्रदान करना ।

सहायक समन्वयक, सी०ए०डी० (तकनीकी सहायता, मोनिटरिंग एवं मूल्यांकन) का दायित्व:

1. सी०ए०डी०, ओ०एफ०डी० एवं पी०आई०एम० से संबंधित गतिविधियों के दिन-प्रतिदिन समन्वय तथा कार्यान्वयन में उप समन्वयक की सहायता करना ।
2. सी०ए०डी०/ओ०एफ०डी० क्रियान्वयन हेतु सिंचाई प्रणालियों की पहचान, कार्यस्थलीय उपयुक्तता मूल्यांकन एवं डेटा संग्रह में सहायता करना ।
3. सिंचाई जल सारणी, जल वितरण, जल शुल्क संग्रह तथा संबंधित तकनीकी गतिविधियों के अनुश्रवण में सहायता करना ।
4. तकनीकी रिकॉर्ड, एम०आई०एस० डेटा, प्रगति रिपोर्ट एवं दस्तावेजों के यथोचित एवं नियमित संधारण हेतु अनुश्रवण करना ।
5. कार्यस्थलीय दौरा करना तथा तकनीकी मुद्दों एवं कार्यान्वयन बाधाओं की रिपोर्टिंग में सहायता करना ।
6. कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु फील्ड स्टाफ, डब्ल्यू०यू०ए० तथा सहभागी विभागों के साथ समन्वय करना ।
7. तकनीकी एवं अनुश्रवण गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक प्रशासनिक एवं परिचालन संबंधी सहायता प्रदान करना ।

पी०आई०एम० के कार्यान्वयन को सुदृढ करने हेतु जल संसाधन विभाग के प्रमंडलीय कार्यालय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यान्वयन दल (एफ०आई०टी०) का गठन किया जाएगा ।

सिवान, गोपालगंज, छपरा, मधौरा, एकमा, महाराजगंज, मधुबनी, झंझारपुर, अंधराठाढ़ी, डिहरी, बिक्रमगंज, आरा, बक्सर, चौसा एवं बिहारशरीफ के प्रत्येक प्रमंडल में एक-एक एफ०आई०टी० का गठन किया जाएगा । प्रत्येक एफ०आई०टी० संबंधित सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के अधीन कार्य करेगा । प्रमंडलीय स्तर पर पी०आई०एम० के कार्यान्वयन में जल संसाधन विभाग के परामर्श अनुबंधों (आई०ई०सी०टी०ए० एवं एन०जी०ओ० तकनीकी एजेंसी) के माध्यम से नियुक्त परामर्शी कर्मचारी एफ०आई०टी० टीम को सहायता प्रदान करेंगे ।

एफ०आई०टी० के प्रमुख कार्य:

1. क्षेत्रीय स्तर की पी०आई०एम० गतिविधियों के लिए पी०आई०एम० इकाई द्वारा दिए गए निर्देश तथा कार्य योजनाओं को लागू करना ।
2. डब्ल्यू०यू०ए० के गठन, पंजीकरण, सुदृढीकरण एवं प्रभावी कामकाज को सुविधाजनक बनाना ।
3. सिंचाई प्रणालियों, जल प्रबंधन एवं रिकॉर्ड रखने के परिचालन एवं संचालन पर डब्ल्यू०यू०ए० पदाधिकारियों तथा सदस्यों को मार्गदर्शन तथा सहयोग करना ।
4. हितधारकों के साथ समन्वय कर सी०ए०डी०/ओ०एफ०डी० गतिविधियों (फील्ड चैनलों सहित), सिंचाई सारणी तथा जल शुल्क संग्रह को सुविधाजनक बनाना ।
5. सिंचाई कमांड स्तर पर आई०ई०सी० (सूचना, शिक्षा, संप्रेषण), जागरूकता, प्रशिक्षण एवं क्षमता-संवर्धन गतिविधियों का समन्वय करना ।

प्रमंडलीय पी०आई०एम० समन्वय समिति की संरचना:

कार्यपालक अभियंता	— अध्यक्ष
प्राक्कलन पदाधिकारी	— सदस्य संयोजक
प्रमंडल के सभी संबंधित सहायक अभियंता	— सदस्य
प्रमंडल के सभी संबंधित कनीय अभियंता	— सदस्य
किसानों के प्रतिनिधि	— सदस्य (संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा नामित किया जाएगा)

प्रमंडलीय पी०आई०एम० समन्वय समिति की भूमिका एवं दायित्व:

1. सिंचाई प्रमंडल के अधीन पी०आई०एम० गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु समग्र पर्यवेक्षण, समन्वय एवं मार्गदर्शन प्रदान करना ।
2. डब्ल्यू०यू०ए० के गठन, संस्थागत सुदृढीकरण, सिंचाई प्रबंधन, सी०ए०डी०/ओ०एफ०डी० कार्यों एवं सिंचाई जल शुल्क संग्रह की प्रगति की समीक्षा करना ।
3. क्षेत्रीय कार्यान्वयन दल (एफ०आई०टी०), डब्ल्यू०यू०ए०, जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों एवं अन्य हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना ।
4. पी०आई०एम० प्रकोष्ठ, क्षेत्रीय पी०आई०एम० समन्वय समिति तथा परिक्षेत्राधीन पी०आई०एम० इकाई द्वारा निर्गत नीतियों, कार्यक्रमों एवं निर्देशों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना ।
5. पी०आई०एम० के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना, परिचालन बाधाओं की पहचान करना तथा उचित सुधारात्मक उपायों की अनुशंसा करना ।
6. पी०आई०एम० के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कृषि विभाग, पंचायती राज संस्थाओं, जीविका तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वित प्रयास को सुविधाजनक बनाना ।
7. पी०आई०एम० के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले क्षेत्र-स्तरीय तकनीकी, प्रशासनिक एवं संस्थागत मुद्दों का समाधान करना ।
8. पी०आई०एम० के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना तथा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु समन्वय समिति की न्यूनतम प्रत्येक तिमाही में एक बार या आवश्यकतानुसार अधिक बैठक का आयोजन करना ।
9. सदस्य-संयोजक समन्वय समिति की त्रैमासिक बैठकें बुलाएंगे, समन्वय समिति के समक्ष कार्यसूची रखेंगे, कार्यान्वयन रिपोर्ट, प्रगति प्रतिवेदन तथा ए०टी०आर० एकत्र करेंगे और इसे समन्वय समिति के विचार हेतु प्रस्तुत करेंगे ।

एफ०आई०टी० की संगठनात्मक संरचना:

प्रत्येक सिंचाई प्रमंडल में एक-एक एफ०आई०टी० स्थापित किया जाएगा। एफ०आई०टी० संबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेंगे। प्रमंडल के प्राक्कलन पदाधिकारी को एफ०आई०टी० लीडर के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाएगा, जिनकी सहायता कनीय अभियंता स्तर के दो एफ०आई०टी० अधिकारी करेंगे।

एफ०आई०टी० का दायित्व:

1. एफ०आई०टी०, प्रमंडलीय पी०आई०एम० समन्वय समिति के कार्यकारी एवं तकनीकी सहायता शाखा के रूप में कार्य करेंगे तथा इसके निर्णयों को लागू करेंगे।
2. समन्वय समिति को नियमित अंतराल पर प्रगति रिपोर्ट एवं कार्रवाई रिपोर्ट (ए०टी०आर०) प्रस्तुत करेंगे तथा इसके विचार-विमर्श हेतु तकनीकी डाटा देंगे।
3. डब्ल्यू०यू०ए० एवं किसान प्रतिनिधियों के साथ सीधे तौर पर कार्य करेंगे तथा पी०आई०एम० कार्यान्वयन के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा नियुक्त परामर्शियों/कर्मचारियों के साथ समन्वय करेंगे।
4. सिंचाई प्रणालियों तथा पी०आई०एम० गतिविधियों का सूचना और संबंधित डेटा एकत्रित कर परिक्षेत्राधीन पी०आई०एम० इकाई को रिपोर्ट करेंगे।
5. डब्ल्यू०यू०ए० में प्रभावी भागीदारी के लिए किसानों को जागरूक करना, वार्ड/ग्राम-स्तरीय सदस्यता रजिस्ट्रों की तैयारी, रखरखाव तथा नियमित समय पर अद्यतन करने की सुविधा प्रदान करना तथा सिंचाई कमांड क्षेत्र से डब्ल्यू०यू०ए० कार्यकारी समितियों के लोकतांत्रिक चुनाव हेतु सहायता करना।
6. सिंचाई प्रणाली स्तरीय समिति के गठन हेतु सुविधा प्रदान करना।
7. सिंचाई प्रबंधन तथा पी०आई०एम० गतिविधियों के लिए डब्ल्यू०यू०ए० को क्षेत्र स्तरीय सहायता प्रदान करना।
8. प्रशिक्षण, जागरूकता एवं आई०ई०सी० (सूचना, शिक्षा, संप्रेषण) गतिविधियों का आयोजन करना तथा एक्सपोजर यात्राओं में सहायता प्रदान करना।
9. डब्ल्यू०यू०ए० के कामकाज का अनुश्रवण करना तथा नियमित समय पर पी०आई०एम० इकाई के समक्ष प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

एफ०आई०टी० लीडर, पी०आई०एम० का दायित्व:

1. दैनिक कार्यान्वयन, समन्वय तथा एफ०आई०टी० गतिविधियों का अनुश्रवण करना।
2. सिंचाई प्रबंधन तथा पी०आई०एम० गतिविधियों के कार्यान्वयन में डब्ल्यू०यू०ए० को सहायता प्रदान करना।
3. परामर्शदाताओं एवं सहायक एजेंसियों के साथ समन्वय कर आवश्यक क्षेत्र-स्तरीय सहायता प्रदान करना।
4. नियमित अंतराल पर प्रगति रिपोर्ट पी०आई०एम० इकाई समन्वयक तथा संबंधित कार्यपालक अभियंता को प्रस्तुत करना।
5. क्षेत्रीय स्तर की चुनौतियों की पहचान करना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु उनकी रिपोर्ट करना।

एफ०आई०टी० अधिकारी, पी०आई०एम० का दायित्व:

1. क्षेत्रीय स्तर पर पी०आई०एम० गतिविधियों के कार्यान्वयन में एफ०आई०टी० लीडर की सहायता करना तथा सलाहकारों/सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRPs) एवं हितधारकों के साथ समन्वय करना।
2. किसान भागीदारी, सामुदायिक बैठकों तथा सिंचाई प्रणाली एवं ग्राम पंचायत स्तरीय डब्ल्यू०यू०ए० के गठन/सुदृढीकरण में सहायता करना।
3. डब्ल्यू०यू०ए० पंजीकरण, चुनाव एवं अन्य कानूनी औपचारिकताओं हेतु सहायता प्रदान करना।
4. क्षेत्रीय स्तर के डेटा के संग्रह एवं सत्यापन तथा प्रगति का अनुश्रवण/रिपोर्टिंग में सहायता करना, जिसमें सिंचाई सारणी एवं जल शुल्क संग्रह सम्मिलित हैं।
5. आई०ई०सी० (सूचना, शिक्षा, संप्रेषण), जागरूकता, प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर यात्रा गतिविधियों में सहायता करना।

बी०डब्ल्यू०एस०आई०एम०पी० अंतर्गत जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यू०यू०ए०):

बी०डब्ल्यू०एस०आई०एम०पी० अंतर्गत पी०आई०एम० के कार्यान्वयन को सुदृढ करने के लिए बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली-2003 या इसके नवीनतम संशोधित संस्करण में किए गए प्रावधानों के अनुसार, कुल 280 डब्ल्यू०यू०ए० का गठन किया जाएगा।



मानक संचालन प्रक्रिया (एस०ओ०पी०) तथा संस्थागत विकास योजना:

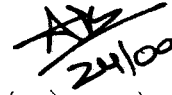
परियोजनांतर्गत पी०आई०एम० के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए, जल संसाधन विभाग, जल उपयोगकर्ता संघों (डब्ल्यू०यू०ए०) तथा अन्य हितधारकों के मार्गदर्शन हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (एस०ओ०पी०) तैयार कर जारी करेगा । एस०ओ०पी० के साथ (i) डब्ल्यू०यू०ए० कार्यकारी समितियों के लोकतांत्रिक चुनाव के लिए प्रक्रियाओं तथा उनकी रूपरेखा वाला एक चुनाव मैनुअल, तथा (ii) डब्ल्यू०यू०ए० के गठन, सुदृढ़ीकरण एवं दैनिक कामकाज के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करने वाला एक फील्ड मैनुअल, जिसमें उनकी नियमित प्रशासनिक एवं परिचालन गतिविधियां सम्मिलित हैं ।

जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यू०यू०ए०), जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों तथा अन्य हितधारकों की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए एक संस्थागत विकास योजना (आई०डी०पी०) भी तैयार की जाएगी । लागू सरकारी प्रक्रियाओं तथा प्रोक्योरमेंट नियमों के अनुसार जल संसाधन विभाग Terms of Reference (टी०आर०) के माध्यम से मानक संचालन प्रक्रिया, चुनाव मैनुअल, फील्ड मैनुअल एवं संस्थागत विकास योजना तैयार करने हेतु उपयुक्त तकनीकी एजेंसियों/सलाहकारों को सम्मिलित कर सकता है ।

सामान्य प्रावधान:

सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पी०आई०एम०) प्रकोष्ठ द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन हेतु इस आदेश के अनुरूप परिचालन दिशा-निर्देश, प्रारूप तथा स्पष्टता निर्गत की जा सकती है । सभी संबंधित पदाधिकारी एवं एजेंसियों, पी०आई०एम० गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए पी०आई०एम० प्रकोष्ठ के साथ समन्वय करेंगी । जल उपयोगकर्ता संघ अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार सिंचाई योजना, जल वितरण, वित्तीय रूप से सतत संचालन एवं रख-रखाव व्यवस्था की स्थापना, विवाद समाधान तथा अनुश्रवण में उत्तरोत्तर भाग लेंगे ।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

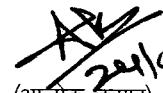

24/09/26

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक-सि०यो०मो०-75/2024 पार्ट I- 421

/पटना, दिनांक- 24/09/2026

प्रतिलिपि :- माननीय उप मुख्य (जल संसाधन) मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।


24/09/26

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक-सि०यो०मो०-75/2024 पार्ट I- 421

/पटना, दिनांक- 24/09/2026

प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।


24/09/26

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक-सि०यो०मो०-75/2024 पार्ट I- 421

/पटना, दिनांक- 24/09/2026

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख (मुख्यालय/सिंचाई सृजन/बाढ़), जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

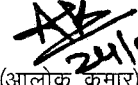

24/09/26

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक-सि०यो०मो०-75/2024 पार्ट I- 421

/पटना, दिनांक- 24/09/2026

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना/निदेशक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), फुलवारीशरीफ, पटना/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2/3/सिंचाई/कांडा, पटना/संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन एवं सुधार सहायक केन्द्र, अनिसाबाद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


24/09/26

(आलोक कुमार)

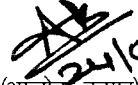
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

जल संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक-सि०यो०मो०-75/2024 पार्ट I- 421

/पटना, दिनांक- 24/09/2026

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी/सिवान/बिहारशरीफ/दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


24/09/26

(आलोक कुमार)

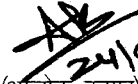
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

जल संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक-सि०यो०मो०-75/2024 पार्ट I- 421

/पटना, दिनांक- 24/09/2026

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, आई०टी० केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।


24/09/26

(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

जल संसाधन विभाग, बिहार